बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)
द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन: +91-612-2520960, फैक्स:+91-612-2535900, website: www.icdsbih.gov.in

हमारा बिहार

पत्रांकः– ICDS/40020/1-2012/ ......1956...... दिनांकः– 07/06/2012

प्रेषक,

प्रवीण किशोर, भा.रा.से.,
निदेशक

सेवा में,

सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी

विषय :– ऑगनवाड़ी केन्द्रों का परिसीमन वार्ड के आधार पर करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय का पत्रांक ICDS/40020/1-2012/622 दिनांक 16.02.2012 का स्मरण किया जाय जिसके द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ऑगनवाड़ी केन्द्रों का परिसीमन वार्ड के परिसीमन के सहसीमांत (Coterminous) करने के बारे में आपको विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये थे और नये परिसीमन को पूर्ण करने के पश्चात् इसे तत्काल लागू करना अपेक्षित था।

इस कार्य की प्रगति की समीक्षा के दौरान कई जिलों द्वारा यह बिन्दू उठाया गया है कि सहसीमांत करने की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद इसे लागू कब से किया जाय। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वार्ड के अनुसार नये परिसीमन को लागू करने के लिए कोई अलग से तिथि निर्धारित नही होगी। जैसे ही नये परिसीमन से संबंधित कार्य विभिन्न परियोजनाओं में सम्पूर्ण होते है, वैसे ही उन परियोजनाओं के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा एक आदेश पारित कर (जिसमें केन्द्र,वार्ड और गॉवों की सूची तथा इन केन्द्रों के लिए चिन्हित सेविकाओं और सहायिकाओं इत्यादि की सूचना सम्मिलित होगी) नये परिसीमन को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाय।

इसके साथ ही नए परिसीमित सभी केन्द्रों, जहॉ पर सेविका/सहायिका की रिक्तियॉ है, के लिए चयन की कारवाई यथाशीध्र पूर्ण की जाय। नये परिसीमन को लागू करने के साथ ही पत्रांक ICDS/40020/1-2012/1664 दिनांक 08.05.2012 द्वारा जारी किये गये प्रपत्र में नये परिसीमन और अतिरिक्त ऑगनवाड़ी केन्द्रों की मॉग से संबंधित प्रतिवेदन आई.सी.डी.एस. निदेशालय में उपलब्ध करायेगें।

उपरोक्त निदेशों का पालन करते हुए ऑगनवाड़ी केन्द्रों का परिसीमन वार्ड से सहसीमांत करने की कारवाई 30 जून, 2012 तक सम्पूर्ण की जाय।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 7/6/12
(प्रवीण किशोर)
निदेशक

ज्ञापांक – ICDS/40020/1-2012/ ......1956...... दिनांकः– 07/06/2012

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 7/6/12
निदेशक